

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
धीमासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

26.07.2019

मिसल नम्बर

26/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा

14.05.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1- श्री जगदीश प्रसाद मेरोठा पुत्र नन्दराम धोबी जाति धोबी निवासी खारी कुई चौहट्टा बाजार निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदीश प्रसाद मुकेश कुमार मेरोठा खारी कुई चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक

2- मैसर्स जगदीश प्रसाद मुकेश कुमार मेरोठा खारी कुई चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 26.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2019 को समय 12.33 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जगदीश प्रसाद मुकेश कुमार मेरोठा खारी कुई चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री जगदीश प्रसाद मेरोठा पुत्र नन्दराम धोबी जाति धोबी निवासी खारी कुई चौहट्टा बाजार निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदीश प्रसाद मुकेश कुमार मेरोठा खारी कुई चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित गिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में 2 स्टील की टंकी, 1 लोहे का टिन व 8 थैलियों में लगभग 50-60 किलोग्राम खुली अवस्था में घी (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री जगदीश प्रसाद मेरोठा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता जगदीश प्रसाद मेरोठा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 2 स्टील की टंकी, 1 लोहे का टिन व 8 थैलियों में लगभग 50-60 किलोग्राम खुली अवस्था में घी (खुला) में से कुल 800 ग्राम को एक जग में वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री जगदीश प्रसाद मेरोठा को रू0 240/-अक्षरे दो सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा घी (खुला) 800 ग्राम को पूर्णतया होमोजिनियस कर कांच की साफ व सूखी चार शिशियो में प्रत्ये कमें 200-200 ग्राम बराबरा-बराबर भरकर शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

868



कोड एवं क्रमांक I-2058 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2058 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.वी. ओ. जगदीश प्रसाद मेरोठा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/253 दिनांक 21.01.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/24/एक्ट/2019/125 दिनांक 21.01.2019 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 22.04.2019 अनुसार जगदीश प्रसाद मेरोठा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया घी (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3 (1) (zx) (zx)(iv) के अनुसार असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard) स्तर का घी (खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी (खुला) का विक्रय कर रहा था वह जांच में असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (खुला) का नमूना जांच में असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद मेरोठा पुत्र नन्दराम धोबी जाति धोबी नियासी खारी कुई चौहट्टा बाजार निवाई जिला टोंक एफ.वी. ओ. मैसर्स जगदीश प्रसाद मुकेश कुमार मेरोठा खारी कुई चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक पर शारती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



869.

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राजस्थान